न्यायालयःअपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0–4/ विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 ऐक्ट,बरेली।

उपस्थितः– अब्दुल कैयूम, एच.जे.एस.

विशेष वाद सं0–1082/18

कम्प्यूटर संख्या–400351/2019

CNR NO-UPBR01-007064-2019

राज्य बनाम वीरेन्द्र।

मु0अ0सं0–10/2018

धारा–135 विद्युत अधिनियम

थाना–बिथरीचैनपुर, जिला बरेली।

दिनांकः12.11.22

पुकारा गया। अभियुक्त वीरेन्द्र मय अधिवक्ता एवं विद्युत विभाग के नामित अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता के यहॉ से थानाध्यक्ष को प्रेषित पत्र दिनांकित 26.02.2018 की प्रति प्रस्तुत कर यह कहा गया कि विद्युत विभाग से अभियुक्त का समझौता हो गया हैं। अभियुक्त ने विद्युत बिल विभागीय एवं शमन की एवं शमन की धनराशि जमा कर दिया है। विद्युत विभाग ने वाद को समाप्त किये जाने की याचना भी की है। अतः यह याचना की गयी कि शमन के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की तरफ से आज अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी पत्रांक–1943/ विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बरेली/दिनांक 15.11.2022 की मूल प्रति दाखिल की गयी है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय ने इस पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि अभियुक्त ने खण्ड कार्यालय मे शमन शुल्क की धनराशि मु0–4000/–रूपये जमा कर दिया है। उक्त शमन के आधार पर मुकद्मा समाप्त करने हेतु थानाध्यक्ष बिथरीचैनपुर बरेली को पत्र भी जारी कर दिया गया है और इस न्यायालय से याचना की गयी है कि शमन के आधार पर पंजीकृत अपराध समाप्त करने की कृपा की जाये।

चूंकि उभय पक्ष के मध्य समझौते के आधार पर शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। अतः वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः धारा–152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त वीरेन्द्र को धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें निरस्त किये जाते है और जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(अब्दुल कैयूम)

विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।

Digitally signed by Abdul Quaiyum
Date: 2022.11.15 17:03:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court